RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 27/2025

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–
श्री जगतार सिंह पुत्र वेहनाराम जाति जाट, निवासी खट्टु धतरवालों की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 24.09.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 16.05.2025 को हजारीलाल अलोरिया जिला रसद अधिकारी, बालोतरा व सहीराम प्रवर्तन अधिकारी, बालोतरा विभागीय निर्देशों की पालना में अवैध व नकली पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री के संभवित स्थान पचपदरा, शेरगढ रोड़, ग्राम पंचायत पचपदरा में स्थित पंजाबी ढाबा पर आकस्मिक जांच हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर ढाबा के संचालनकर्ता श्री जगतारसिंह उपस्थित मिला। मौके पर अप्रार्थी के घर के मध्य खुले स्थान पर एक प्लास्टिक का ड्रम, 17 प्लास्टिक केन, 10 व 5 लीटर क्षमता के 2 लौहे का ड्रम मय पेट्रोलियम पदार्थ वक्त जांच पाए गये। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ सुंघने पर प्रथम दृष्टया डीजल होना प्रतीत हुआ। उक्त कैन व ड्रम में कुल 140 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ उत्पाद पाया गया। पेट्रोलियम पदार्थ उत्पाद अपने कब्जा में रखने एवं परिवहन करने के सम्बन्ध में लाईसेंस/परमिट का पूछा तो अपने पास लाईसेंस/परमिट एवं आवश्यक दस्तावेज नहीं होना बताया। गैर सायल से जब्तशुदा टंकी में निरीक्षण करने पर करीब 140 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ उत्पाद भरा हुआ पाया गया। जिस पर उक्त शख्स द्वारा अवैध बायो डीजल अपने कब्जे में रखना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से एक प्लास्टिक का ड्रम, 17 प्लास्टिक केन, 10 व 5 लीटर क्षमता के 2 लौहे का ड्रम मय 140 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मौके से जब्त सरकार किये जाकर सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थापक ग्राम सेवा, सहकारी समिति पचपदरा को सुपुर्द किया गया। उक्तानुसार रिपोर्ट से मामला (रेग्यूलेशन

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूसन एवं प्रिवेंन्शन ऑफ माल प्रेकटिस) आदेश 2005 के क्लॉज 02 (एफ)(वी) व क्लॉज 04 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) एवं अन्य सामग्री के निस्तारण व राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

3. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों का परिवाद मात्र खानापूर्ति करने एवं लोकल व विशेष अधिनियम के तहत प्रकरणों की संख्या बढ़ाने की नीयत से अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया है। अप्रार्थी ने कथन किया कि मैं एक होटल पंजाबी ढाबा का संचालन करता हूँ। होटल पर कभी लाइट नहीं होने पर जनेटर का प्रयोग करना पड़ता है। उसके पेट्रोल पंप से डिजल लाकर जनेटर में डालता हूं। अपनी निजी जरूरत के लिए जरिये बिल दिनांक 14.05.2025 को 200 लीटर डीजल मैसर्स श्री जगदम्बा पेट्रोलियम से जरिये बिल खरीद किया था। मेरे द्वारा डीजल की किसी प्रकार की खरीद–फरोख्त नहीं की जा रही है। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा डीजल व अन्य सामग्री प्रार्थी स्वामी होने से कब्जे में रखने का अधिकारी है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी जगतार सिंह पुत्र वेहनाराम जाति जाट, निवासी खट्टू धतरवालों की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ संग्रह करते हुए पाया गया तथा मौके से ड्रम व कैन में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर अप्रार्थी ने बायोडीजल होना बताया। सूंघने तथा जांच करने पर कुल 140 लीटर बायोडीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्स से बायोडीजल लाने, कब्जा में रखने बाबत वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया। इसके जवाब में अप्रार्थी ने कथन किया कि मैं एक होटल पंजाबी ढाबा का संचालन करता हुं। होटल पर कभी लाइट नहीं होने पर जनेटर का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए पेट्रोल पंप से डिजल लाकर जनेटर में डालता हूं। अपनी निजी जरूरत के लिए जरिये बिल दिनांक 14.05.2025 को 200 लीटर डीजल मैसर्स श्री जगदम्बा पेट्रोलियम से जरिये

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

बिल खरीद किया था। मेरे द्वारा डीजल की किसी प्रकार की खरीद–फरोख्त नहीं की जा रही है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 7 व 8 के अनुसार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा नक्षत्रसिंह बनाम राज्य SB Criminal Misc Petition No. 633/2010 में दिनांक 21.10.2011 को यह अधिमत दिया कि एक हजार लीटर डीजल कब्जे में रखने हेतु लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गये पेट्रोलियम पदार्थ के खरीद का वैध बिल अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त पेट्रोलियम की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 140 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य सामग्री कब्जा सरकार से एत्दद्वारा मुक्त किया जाता है।
6. आदेश आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा